संख्या–2193 / 33–3–2021–292 / 2021

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 16 नवम्बर, 2021

विषयः–पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि से सम्बन्धित विवाद के निस्तारण की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–42 / 2021 / 1235 / 33–3–2021–989 / 2021, दिनांक 25.07.2021 द्वारा प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि प्रदेश में पूर्व से कुल 33577 पंचायत भवन बने हैं। वर्तमान में 24617 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय ग्राम पंचायतों में स्थल चयन को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसका सामयिक निस्तारण अविलम्ब हो, इस हेतु मण्डल के मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत) को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। मण्डलीय उप निदेशक (पं0) विवाद की स्थिति को मण्डलायुक्त के संज्ञान में लाकर उसका निस्तारण विभागों के मध्य आवश्यक समन्वय स्थापित कर अविलम्ब सुनिश्चित करायेंगे।

उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

1850
DD (श्री सिंह)

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

नि0 216
17/11/21

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाईल।

SOS-6

DD(P)
18/11/21

आज्ञा से,

(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

श्री अवधेश
23-11-21
प्रशासनिक अधिकारी